

# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 09.08.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, न्यायाधीश, समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि० 09.08.2025

## वीडीए 5210 पेजों का डिजिटाइजेशन करेगा

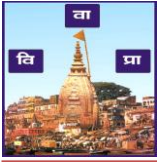
वाराणसी। वीडिए 930 से 1950 के 26 मानचित्रों और 1957 के बाद की 95 पत्रावलियों के कुल 5210 पेजों को संरक्षित करेगा। इनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इस पर करीब 15 लाख रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज को दी गई है। ब्यूरो

अमर उजाला—दि० 09.08.2025

## अवैध निर्माण को किया सीज

वाराणसी। वीडिए की टीम ने शुक्रवार को सिकरौल में भवन सीज करने की कार्रवाई की। पवन सिंह फुलवरिया में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 166.875 वर्गमीटर क्षेत्रफल में जी प्लस तल का निर्माण कर रहे थे। जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई। ब्यूरो





# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

दैनिक जागरण-दि० 09.08.2025

## स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण सील

जासं, वाराणसी : वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर शुक्रवार को जोन एक के अवर अभियंता रोहित कुमार ने बताया कि सिकरौल वार्ड में फुलवरिया में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत पवन सिंह निर्माण कर रहे थे। उक्त भवन को सील कर दिया गया।

न्यायाधीश-दि० 09.08.2025

## वीडीए जोन-1, वार्ड- सिकरौल के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित

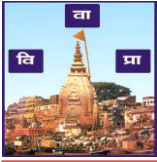


वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1, वार्ड-सिकरौल के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-सिकरौल के अंतर्गत पवन सिंह पुत्र ओमकार नाथ

सिंह, मौजा-फुलवरिया 4 नम्बर गेट पास कैंट, जिला- वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 166.875 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में जेड-1 तल का निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन

एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा 27, 28(1) व 28(2) के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।





# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि० 09.08.2025

## प्राधिकरण अभिलेखों के संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम



वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के पुराने अभिलेखों एवं मानचित्रों के संरक्षण (Conservation of Old Record Maps), एकीकृत कीट प्रबंधन एवं पर्यावरण निगरानी प्रणाली (Establishment of Inte-

grated Pest Management and Environmental Monitoring System) की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुसार कुल 14,99,844/- के प्रोजेक्ट को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस परियोजना की कार्यदायी

संस्था इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH), लखनऊ को नामित किया गया है। INTACH द्वारा वर्ष 1930 से 1950 के 26 मानचित्रों तथा 1957 के पश्चात की 95 पत्रावलियों के कुल 5210 पृष्ठों का संरक्षण (Preservation) किया जाएगा। उक्त परियोजना के तहत आगामी दिनों में INTACH द्वारा प्राधिकरण के कर्मचारियों हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें अभिलेखों के वैज्ञानिक संरक्षण, कीट नियंत्रण, नमी प्रबंधन एवं पर्यावरणीय निगरानी से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत, INTACH द्वारा चयनित पुराने अभिलेखों एवं मानचित्रों का संरक्षण कार्य प्रायोगिक रूप से प्रारंभ किया जाएगा, जिसे दो माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में, प्राधिकरण द्वारा हाल ही में निर्मित नवीन अभिलेखागार में विभिन्न अनुभागों से प्राप्त पत्रावलियों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के साथ-साथ पत्रावलियों/अभिलेखों का स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन कार्य भी प्रारंभ कराया गया है, जिससे अभिलेखों का दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

